समक्ष जे.एस. नारंग और एस.के. मित्तल, न्यायमूर्ति

शकुन्तला, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्यऔर अन्य भी, — *उत्तरदाताओं*

सी डब्ल्यू पी नं 2002 का 423

21 अगस्त 2003

भारत का संविधान. 1950—अनुच्छेद 226—पंजाब सेवा(चिकित्सा परिचारक) नियम, 1940 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) -सरकार इलाज के लिए अनुमोदित अस्पतालों की सूची अधिसूचित कर रही है कर्मचारी-याचिकाकर्ता गैर-अनुमोदित अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं –निजी अस्पतालों में होने वाला खर्च कहीं अधिक है जो सरकार में निर्धारित है | अनुमोदित अस्पताल–चिकित्सा के लिए दावाप्रतिपूर्ति–अस्वीकृति–उसकी चुनौती–सरकार। अनुमत अस्पताल आपातकालीन रोगियों का एंटरटेन करने में असमर्थ-आपातकाल जब आवश्यक हो तो चिकित्सा प्रक्रिया को धन के संदर्भ में नहीं तोलना चाहिए - सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं। किसी आपातकालीन स्थिति में परिचारक द्वारा प्रक्रियाएं पालन किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी | रोगी-याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के दावेअनुमति दी गई |

अभिनिर्धारित किया गया कि, किसी निश्चित बिंदु पर मानव जीवन को बचाने के मामले में समय के साथ, किसी परिचारक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह सूची को देखे और फिर उस अस्पताल की तलाश करें जो उसमें मौजूद है। ऐसी प्रक्रियाएं किसी आपातकालीन स्थिति में रोगी का परिचारक से पालन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए |यदि ऐसे नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया जाता है, तो अंतिम परिणाम विनाशकारी हो सकता है और उस स्थिति में रोगी की मृत्यु हो सकती है। यदि मृत्यु होती है, उस स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी . निःसंदेह, सामान्य परिस्थितियों में प्रक्रियाएँ निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए लेकिन प्रक्रियाओं का पालन

इतना बोझिल नहीं किया जाना चाहिए कि कोई भी इसका पालन करने में निराश हो सकता है ।प्रक्रियाएं. आपातकाल कोई कानून या कोई प्रक्रिया नहीं जानता। जब आपातकालीन कार्य करने की आवश्यकता हो तो उसे महत्व नहीं देना चाहिए
पैसे के मामले में, खासकर जब मानव जीवन दांव पर लगा हो।

इसके अलावा, नियोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी देखभाल करे हालांकि कर्मचारी इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार हैं रोजगार की शर्तें या उसके संबंध में बनाए गए नियम। जहां कहीं भी नियम कर्मचारियों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति निर्धारित करते हैं, अनावश्यक देरी से बचना चाहिए. सभी में तथ्य सामने आये ये मामले इस प्रकार की देरी और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं से संबंधित हैं अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हमारा मानना है कि आक्षेपित आदेश, - जिसके माध्यम से याचिकाकर्ताओं के दावे किए गए हैं खारिज की गई याचिका कानून के तहत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि स्थापित याचिका यह है कि
अस्पताल मान्यता प्राप्त नहीं हैं या अनुमोदित सूची में शामिल नहीं हैं सरकार द्वारा, जो कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस प्रकार सभी याचिकाकर्ताओं के मामलों की तदनुसार जांच की जानी चाहिए और इसलिए न्यायाधीश ने भी कानून बनाया। (पैरा 13)

एस.के. याचिकाकर्ता के लिए हूडा, एडवोकेट.

रघबीर के साथ सूर्या कांत शर्मा, ए.जी. हरियाणा चौधरी. सीनियर. D.A.G. हरियाणा और राजबीर सीरावत, DAG हरियाणा, राज्य के लिए.

निर्णय

जे.एस. नारंग, न्यायमूर्ति

(1)यह निर्णय सीडब्ल्यूपी नोस का निपटान करेगा. 423, 1061, 1757, 2103, 4351, 11862, 11906, 12014, 14070, 142, 18135, 18148, 3783, 4126, 4136, 4151, 4424, 6104, 6311, 7420, 8285, 10882, 10886, 11622, 1174412964,14351, 14584, 15730, 16110, 16409, 18665, 18692, 18838, 19204, 19245, 20293 2002 के सभी, 414, 1253,1328, 1528, 1809, 2155, 2170, 2191, 3100, 3238, 3540, 4511 और 13135 **सब** 2003 का.

(2) तथ्यों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है जहाँ भी आवश्यक हो.

C.W.P. 2002 की संख्या 423

(3) याचिकाकर्ता के पति राम कुमार की किडनी खराब हो गई विफलता की समस्या और वह चिकित्सकीय जांच के बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (इसके बाद संदर्भित)।"पीजीआईएमएस" के रूप में) वर्ष

1977 में रोहतक को अखिल भारतीय स्तर पर संदर्भित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली (इसके बाद इसे कहा जाएगा "एम्स") उनकी जांच प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. एस.सी. दाश ने की नेफ्रोलॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली। उन्होंने सलाह दी कि मरीज को शीघ्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता है और एम्स में सर्जरी के लिए प्रतीक्षा छह महीने है इसे किसी अन्य अस्पताल से किया जाना चाहिए | 24 दिसंबर 1997 के पत्र की एक प्रति अनुलग्नक पी1 के रूप में जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप, मरीज को 26 दिसंबर 1997 को सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली में भर्ती कराया गया | उन्हें कई बार डायलिसिस पर रखा गया और इतना ही नहीं प्रासंगिक परीक्षण किए गए थे और किडनी का एक दाता भी पहचाना गया | बाद में, उन्हें 19 फरवरी, 1998 को भर्ती कराया गया किडनी दानकर्ता के साथ-साथ ऑपरेशन और वह ऑपरेशन 25 फरवरी 1998 को किया गया और परिणाम सफल रहा। 6 मार्च 1998 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई लेकिन ऑपरेशन के बाद जांच और देखभाल के लिए अस्पताल जाना आवश्यक है। वह जुलाई, 1998 में फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। 3,85,912 रुपये का दावा दर्ज करायी गयी थी, जिसकी संस्तुति खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी थी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक को। निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ने 23 अगस्त 1999 को आपत्ति उठाई।मरीज का ऑपरेशन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। जो कि मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है, फलस्वरूप बिल वापस कर दिया गया, 10 सितंबर, 1999 को मामले की फिर से सिफारिश की गई 22 सितंबर,1999, इस स्पष्टीकरण के साथ कि एम्स ने सिफारिश की थी कुछ समय तक लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण बाहर से सर्जरी करवानी पड़ती है एम्स में छह महीने का समय है । हालाँकि, 10,3,639.68, रुपये का एक और चिकित्सा दावा 1 जून 2000 को प्रभावी अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया था 15 मई 1998 से 14 सितम्बर 1999 तक, लेकिन वही भी था पिछले बिल के साथ मूल रूप में लौटाया गया। आरोप है कि पत्नी के गहने बेचकर मेडिकल बिल चुकाना पड़ा |

(4)
राज्य ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता का मामला सक्षम प्राधिकरण द्वारा खारिज नहीं किया गया है लेकिन याचिकाकर्ता को दिनांक 6 अक्टूबर 2000 संचार के माध्यम से सलाह दी गई अपने दावे को विभाजित करने के लिए | यह भी आरोप लगाया गया है कि 1,12,500 रुपये की राशि का मरीज को भुगतान पहले ही किया जा चुका है|यह भी हो चुका है |आपत्तियों को दूर करने/टिप्पणियों के अनुपालन के बाद कहा गया|
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा पति का मामला बनाया गया|याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र संबंधित तिमाहियों को प्राप्त हो चुका है|तदनुसार निपटाया गया। ऐसे में, याचिका प्री-मैच्योर है और वही बर्खास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त के अलावा कोई अन्य दलील नहीं लिए सरकार द्वारा लिया गया है|

(5) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता

हरियाणा के सहकारिता विभाग से इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह अपनी पत्नी के साथ कुछ घरेलू दायित्वों के लिए दिल्ली गए थे14 नवंबर 2000 को, बाजार में ही उनकी पत्नी गिर गईं |बेहोश हो गए और नजदीकी ज्ञात अस्पताल में भर्ती कराना पड़| NIMHANS के रूप में, डॉ. विद्यासागर कौशल्या देवी मेमोरियल की एक इकाईस्वास्थ्य केंद्र, नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली।यह निदान किया गया था कि उसे बड़ा SAH (सब अरचनोइड) था |रक्तस्राव) बेसिलर धमनी धमनीविस्फार के साथ। वह धैर्यवान भी थी|अनियमित उच्च रक्तचाप. रोगी का संक्षिप्त सारांश लिखा गया था|डॉक्टर द्वारा और निष्कर्षों के आधार पर लौटाया गया| एंजियोग्राफी और अन्य परीक्षण जो नवंबर में किए गए थ|15, 2000, मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट में, सारांश की एक प्रति दी गई है|अनुबंध पीएल के रूप में संलग्न, मरीज को इन सभी का भुगतान करना आवश्यक था|संस्थान और प्राप्त रसीदें इस प्रकार संलग्न की गई है|याचिका के अनुलग्नक. नवंबर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था|14, 2000 से 19 नवंबर, 2000। इसके बाद, उन्हें सलाह दी गई|अपोलो अस्पताल, दिल्ली में संबंधित डॉक्टर से परामर्श लें। उसे ले जाया गया|उसी तारीख को उक्त अस्पताल में लाया गया और तदनुसार भर्ती कराया गया।उसका उपचार किया गया और अंततः उसे छुट्टी दे दी गई|27 नवंबर, 2000. डॉक्टरों द्वारा डिस्चार्ज सारांश तैयार किया गया|अपोलो अस्पताल, दिल्ली में, अनुबंध P5 के रूप में जोड़ा गया है। वह उसे तदनुसार भुगतान करना आवश्यक था। भुगतान बनाया गया था और उसके अनुसार रसीदें भी जारी की गई

थीं|याचिका में अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता ने पेश किया प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए रसीदों के साथ पूर्वोक्त बिल|सरकार से. अनुरोध और दावा ठुकरा दिया गया|12 सितंबर 2001 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है|इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बनाया गया है की एक रिटसरकार को निर्देशित करते हुए परमादेश जारी करने की मांग की गई है पूर्वोक्त भुगतान करने के लिए |

(6) याचिका का सरकार ने विरोध किया है और

एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि सरकार उचित हैचिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करते हुए,इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुमोदित अस्पतालों की सूची अधिसूचित कर दी गई है|लेकिन पत्नी ने उन अस्पतालों से इलाज कराया जो ऐसा नहीं करते उक्त अनुमोदित सूची में आते हैं। इनमें से कुछ पर निर्भरता रखी गई है इस न्यायालय और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी जिससे मरीज को अस्पताल जाने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है सरकार ने मंजूरी दे दी है|आपातकालीन स्थिति में,मरीज को यह देखना है कि अस्पताल कौन सा है, सेवाएं किसकी उपलब्ध है और सर्वोत्तम है| अनुमोदित अस्पतालों की सूची अप्रासंगिक होगी,यदि आपातकालीन स्थिति में ऐसा अस्पताल पहुंच योग्य नहीं है। यह किया गया है हमारे ध्यान में लाया गया कि हरियाणा सरकार, - एक के माध्यम से 31 अक्टूबर 2002 को अलग से अधिसूचना/निर्देश जारी किये गये| मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में इसमें "इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल" और "सर गंगा राम अस्पताल" शामिल हैं|

.

(7) संदर्भित उद्धरण इस प्रकार हैं: —

(1) राम सरन भाटिया *बनाम* हरियाणा राज्य, (1)

(2) **सैम नाथ कपूर *बनाम* हरियाणा राज्य (2) और**

(3) **लाजपत राय जुडेजा *बनाम* हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी 2000 की संख्या 1275 ने 10 मई, 2000 को निर्णय लिया.**

(8) तथ्य २००२ के सीडब्ल्यूपी नंबर ११44४४ से लिए जा रहे हैं.

(9) याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार का कर्मचारी हैऔर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगली, गोधा में जेबीटी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं| उन्होंने 31 जुलाई 2000 को अपने आवास पर एक बेटे को जन्म दिया।और डिलीवरी के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था। ऐसे में बच्चे को सक्सेना नर्सिंग होम रेवाडी ले जाया गया।डॉक्टर ने तुरंत बच्चे का ऑपरेशन करने की सलाह दी|यह कि जिस ऑपरेशन के बारे में राय दी गई थी वह उस नर्सिंग में नहीं किया जा सकता था। इसलिए, बच्चे को सर गंगा राम अस्पताल ले जाना पड़ा,और 1 अगस्त 2000 को उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था |सुबह 11 बजे ऑपरेशन किया गया, रात 12 बजे ऑपरेशन किया गया।आपात्कालीन स्थिति स्पष्ट थी और ऑपरेशन के अलावा कोई और बात नहीं थी|बच्चे की जान बचाने का दूसरा तरीका. लेकिन बच्चा बच गया

याचिकाकर्ता को लगभग 1,20,000 रुपये इलाज पर खर्च करने पड़े। रुऔर संचालन. उसने बिल संबंधित क्वार्टर में जमा कर दिए| लेकिन किसी न किसी कारण से उसे प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था|कुछ अन्य प्राधिकारी और अंततः इसे समक्ष रखा गया निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़। सर गंगा राम के आधार पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार कर दी गई है अस्पताल हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले चिकित्सा उपचार के लिए हरियाणा के. आक्षेपित आदेश ~~की प्रति इस प्रकार संलग्न है -अनुलग्नक पी2~~|

(10) याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार का कर्मचारी है और यह कि बच्चे के इलाज के लिए वह उस पर निर्भर है बच्चा, वह चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार है पंजाब सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1940 के अनुसार|जो हरियाणा राज्य पर लागू हैं। जहां तक उपलब्धता की बात है एम्स, नई दिल्ली जैसे संस्थानों में चिकित्सा सुविधाओं की,आम तौर पर ऑपरेशन की प्रतीक्षा अवधि इतनी होती है कि आपातकाल अधिकांश समय मरीजों का मनोरंजन नहीं हो पाता और उन्हें रेफर कर दिया जाता है अन्य अस्पतालों के लिए. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह केवल अत्यंत आपातकालीन स्थिति में है कि व्यक्ति अस्पताल पहुंचे जहां तत्काल इलाज हो सके दिया गया। ऐसे में जहां इंसान की जान भी खतरे में पड़ जाती है तकनीकी रूप से ऐसे व्यक्ति को अनुमोदित सूची की तलाश करने की आवश्यकता होती हैअस्पताल और फिर तय करें कि किस अस्पताल में जाना है। कभी-कभी कहा जाता है अस्पताल मरीज को समायोजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति सुरजीत सिंह बनाम राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निपटाया गया है पंजाब के (3). गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पहले ही स्वीकृत सूची में शामिल है अस्पतालों और उक्त अधिसूचना/निर्देश जारी कर दिए गए हैं 31 अक्टूबर, 2002 को। एक इंसान को बचाने के मामले में, इसके देहर्स जीवन में किसी निश्चित समय पर किसी परिचारक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह देखे सूची में शामिल हों और फिर उसमें शामिल अस्पताल की तलाश करें। किसी आपात स्थिति में ऐसी प्रक्रियाओं के पालन की अपेक्षा मरीज के परिचारक द्वारा नहीं की जानी चाहिए| यदि ऐसे नियम लागू होते हैं सख्ती से, अंतिम परिणाम विनाशकारी हो सकता है और उस स्थिति में रोगी की मृत्यु हो सकती है| यदि मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता , इसमें कोई शक नहीं, सामान्य तौर पर परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए लेकिन प्रक्रियाओं को इतना बोझिल नहीं बनाया जाना चाहिए कि किसी को परेशानी हो ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करने में निराशा होती है। आपातकाल कोई कानून नहीं जानता और कोई प्रक्रिया नहीं |जब आवश्यक हो तो आपातकालीन कार्य करना विशेषकर मानव जीवन को पैसों से नहीं तोलना चाहिए|

(11) नियमों के तहत अधिकारियों को इस प्रकार की स्थितियाँ निपटने में सचेत और सतर्क तरीके से अपना दिमाग लगाएं| एक व्यक्ति अपने प्रियजनों की जान बचा सकता है|कोई भी ऐसा कार्य करना होगा जिसमें किसी के आभूषण की बिक्री शामिल हो,अत्यधिक ब्याज दर पर पैसा उधार लेना या स्वयं को अधीन करना |हर और किसी भी स्थिति के लिए कोई भी अस्पताल, निजी या सरकारी, ऐसा नहीं करेगा|बिना राशि जमा कराए मरीज का सत्कार करें|

उस मोड़ पर, परिस्थितियाँ औरमरीज़ इतना संवेदनशील हो जाता है कि अपने प्रियजनों की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है और प्रिय कुछ

भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगता। इस प्रकार, का गुरुत्वाकर्षण सरकार को स्थिति को और भी अधिक समझना होगा|

सामान्य गणित को लागू करने की तुलना में सकारात्मक तरीके से। परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकता है और आम तौर पर तब उत्पन्न होता है जब रोगी का परिचारक हो सकता है कि उसके पास धन या आभूषण न हो या उसके पास न हो प्रियजनों और प्रियजनों का जीवन बचाना। क्या हम बेहतर समाधान नहीं सोच सकते|ऐसी स्थिति में मरीज को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए? यह संबंधित तिमाहियों द्वारा जांच की जानी चाहिए जो न केवल हैं शासन करने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए। सेवा प्रदान करने हेतु समाज को जरूरी खर्चों पर अंकुश नहीं लगाना है बल्कि साथ ही कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई संभावना न खुले राज्य के खजाने में हो रही फिजूलखर्ची इस प्रकार, उत्तर होना चाहिए उन व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया जो मामलों के शीर्ष पर बैठे हैं राज्य के और ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमारे अनुसार, व्यक्ति को स्थिति से उसी तरह निपटना चाहिए जैसे वह है स्वयं स्थिति में शामिल। हम कभी नहीं जानते कि जिस स्थिति से निपटा जा रहा है, उसकी मार उस व्यक्ति पर भी पड़ सकती है |

(12) दिए गए मामले में, बच्चे की जान बचाना था|यह मां यानी याचिकाकर्ता के लिए सर्वोपरि था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था|लेकिन बच्चे को पहली बार में ही सक्सैना नर्सिंग होम, रेवाडी में भर्ती कराना है| लेकिन उनकी सलाह पर, प्रदर्शन करने के लिए ऑपरेशन के दौरान, उसे यह तौलना था कि कौन सा संस्थान बेहतर ढंग से सुसज्जित है बच्चे की जान बचाने के लिए और उसके बयान के अनुसार, वह थी बच्चे को सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली ले जाने की सलाह दी गई।सौभाग्य से, डॉक्टर और के प्रयासों से बच्चा बच गया|बेशक, इसका श्रेय संस्था को गया। इसमें कोई शक नहीं, खर्च सरकार अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल मेंनिर्धारित राशि से कहीं अधिक हो सकता है। सरकार ने मान लिया है कुछ अस्पतालों में और जहां तक दरों का सवाल है, प्रशासन के लिएचिकित्सा सहायता के मामले एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न-भिन्न होते हैं। केवल मापने का कानून यह है कि गंभीर आपात स्थिति में कौन सा अस्पताल अटेंडेंट के मन में आता है कि कौन सा अस्पताल माना जाए मरीज़ की जान बचाने के लिए सर्वोत्तम| ये फैसले कभी-कभी किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं|

(13) सभी के दावों पर विचार करते समय संचयी प्रभाव याचिकाकर्ताओं को सभी याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामलों की आवश्यकता है,शीघ्रता से निपटाया जाए क्योंकि बैठक के समय बाहर अस्पतालों में चिकित्सा व्यय का भुगतान ब्याज पर ऋण लेकर जुटाया जाता है, आभूषणों की बिक्री या चल संपत्ति को बेचकर या सावधि जमा सहित अचल संपत्ति, यदि कोई हो। ऐसी हरकतें कभी-कभी इसमें किसी कर्मचारी के जीवन भर की बचत शामिल होती है। इस प्रकार इस प्रकार के भुगतानों से निपटने का प्रश्न एक स्वस्थ्य छोड़ देता है एक कर्मचारी के साथ प्रभाव. आम तौर पर कहें तो नियोक्ता है हालाँकि शर्तों के अनुसार अपने कर्मचारियों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है रोजगार की शर्तों या बनाए गए नियमों में बताई गई शर्तें उसके संबंध में| जहां भी नियम प्रतिपूर्ति निर्धारित करते हैं कर्मचारियों को किए जाने वाले कार्यों में अनावश्यक देरी से बचा जाना चाहिए।इन सभी मामलों में बताए गए तथ्य इस प्रकार की देरी से संबंधित हैं इससे याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हम उनका मानना है कि आक्षेपित आदेश, - जिसके तहत दावे किए गए हैं याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया गया है, जो कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं|याचिका में कहा गया है कि अस्पताल मान्यता प्राप्त नहीं हैं या नहीं हैं सरकार द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल है, जो नहीं है कानून की कसौटी पर खरे उतरें. इस प्रकार, सभी याचिकाकर्ताओं के मामले योग्य हैं|नियमों के अनुसार जांच की जाएगी और न्यायाधीश ने भी ऐसा ही किया। इसलिए, हम उत्प्रेषण रिट देते हैं और आक्षेप को रद्द करते है|प्रत्येक याचिकाकर्ता के दावों के संबंध में अस्वीकृति के आदेश जिसका हमारे सामने विरोध किया गया है और हम आदेश भी देते हैं सरकार ने परमादेश रिट जारी कर कहा कि सभी के मामले याचिकाकर्ताओं के साथ नियमों और न्यायाधीश के अनुरूप व्यवहार किया जाए तीन माह की अवधि में बनाया कानून यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता 15 तारीख के भीतर अपने दावे को प्रमाणित कर सकते हैं इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दिन और कि तीन माह की पूर्वोक्त अवधि 15 माह के अतिरिक्त होगी

दिन और जहां भी अतिरिक्त दलीलें या अतिरिक्त दस्तावेज़ हों प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, 15 दिनों की पूर्वोक्त अवधि,किसी भी पक्ष को उपलब्ध नहीं होगा. इसे आगे निर्देशित किया गया है|उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामलों का निर्णय करना, याचिकाकर्ताओं को देय भुगतान एक के भीतर किया जाएगा|ऐसा न करने पर सरकार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी|
अवधि समाप्त होने के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याजनिर्धारित अनुसार एक माह की. देय ब्याज राशि इतनी होगी|संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से कटौती योग्यउपरोक्त से निपटने और भुगतान न करने के लिए अवधि और उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी |सरकार किसी भी मद में. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी भी देरी के लिएउपरोक्त अवधि के बाद उस पर

अर्जित ब्याज होगा| पहली बार में सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और कटौती की जाएगी संबंधित तिमाहियों द्वारा दायित्व तय किए जाने के बाद किया जाएगा

से निपटने के लिए और पूर्वोक्त के भीतर भुगतान नहीं करने के लिए अवधि और उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी किसी भी सिर के नीचे सरकार. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी भी देरी के लिए उपर्युक्त अवधि से परे ब्याज अर्जित किया जाएगा पहले उदाहरण में सरकार द्वारा भुगतान किया गया और कटौती की जाएगी संबंधित तिमाहियों द्वारा देयता को तेज करने के बाद बनाया जाना चाहिए|.

(14) इससे पहले कि हम इस फैसले से अलग हों, परिस्थितियाँ और सरकार और नागरिकों द्वारा जिन स्थितियों का सामना किया गया |इस देश में, हमें लगता है कि राज्य को भी अपने वित्त पर ध्यान देना होगा|क्योंकि जो भी कमाया जाता है, उसे परमार्थ के लिए ही खर्च करना पड़ता हैसार्वभौम। संप्रभुता इस देश के नागरिकों में निहित है,लेकिन उसे 100 से विभाजित एक की सीमा तक पतला कर दिया गया है,करोड़ों. समय बीतने के साथ इसे हर दिन पतला किया जा रहा है, सिवाय कुछ केउसी के तनुकरण को रोकने के लिए विधि अपनाई जाती है, जो स्पष्ट है|यह संसद के हाथ में है जो कि बुद्धि का सदन है|संप्रभु के प्रतिनिधि. हमें अपनी आवश्यकताओं/संसाधनों को जानना चाहिए और जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उस दिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक और मुँह खुल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव जीवन अनमोल है लेकिन यह जीवन भी अनमोल है उचित, सम्मानजनक और पद्धतिगत तरीके से देखभाल की जानी चाहिए। जब एक बच्चा आता है तो वह एक संप्रभु के रूप में कदम रखता है और वह अपेक्षा करता है न केवल माता-पिता अपनी भूमिका निभायें बल्कि राज्य को भी उसकी देखभाल करनी होती है|क्योंकि सम्पूर्ण आय देश में अर्जित होती है और राज्य द्वारा नियंत्रित एवं नियंत्रित।

(15) सवाल उठता है कि कितना खर्च करना होगा इस छोटे से नागरिक को एक समझदार और सार्थक व्यक्ति बनने के लिए| राज्य का संप्रभु. बड़ों को उसके लिए जगह बनानी होगी|,छाया से भरपूर, स्वच्छ हवा और स्वस्थ भोजन तथा पर्यावरण से भरपूर चिकित्सा मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य और शिक्षित होना भी आवश्यक है|समाज में एक संपत्ति बन गई। इन सबके लिए कुछ कार्यप्रणाली भारत के संविधान के सभी घटकों द्वारा अपनाया जाना है अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी। संचयी प्रभाव यह होगा कि हमें गुणा के खेल को नियंत्रित करना होगा कि हमारे संसाधनों को और जगह को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए|छोटा न हो और उपलब्ध संसाधन पहुंच योग्य हो| एक दूसरे के लिए आराम से. रोक लगाने का

प्रयास करना होगा| जनसंख्या वृद्धि के लिए. इस दिशा में सकारात्मक कार्य करें|प्रथम दृष्टया ,संसद का हिस्सा आवश्यक है, स्व-शिक्षा वांछित परिणाम नहीं दिया है|

(16) सरकारी कर्मचारी कुछ राहतों का हकदार है

प्रख्यापित नियमों के तहत परिकल्पित, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर,राहतें अधिकार के मामले के रूप में दावा करने योग्य नहीं हैं। हालाँकि, राहत दावा करने योग्य उस प्रथा द्वारा अधिकार बन जाता है जिसे अपनाया जाता है । कभी-कभी कोई नियम नहीं बल्कि स्थापित प्रथा होती है व्याख्या के बाद नियम को कानून का बल प्राप्त हो जाता है न्यायपालिका द्वारा. जो राहतें मिली हैं, उन पर हमने विचार किया है उपरोक्त सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। समय बीतने के साथ सरकार ने मान्यता प्राप्त सूची को संशोधित किया है अस्पतालों की और समय-समय पर कुछ अस्पतालों को भी जोड़ा है लेकिन हमारे मन के अनुसार, यह समाधान नहीं होगा और न ही हो सकता है क्योंकि हमें कोई नियम या विनियम का पालन करना आवश्यक नहीं लगता अस्पताल की स्थापना के लिए. शायद हम इस पहलू पर गौर कर रहे हैं पहली बार के लिए। हमारे अनुसार, जब भी कोई अस्पताल स्थापित किया जाए तो ऐसा होना ही चाहिए कुछ बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप हो तभी ऐसा अस्पताल कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए - चाहे वह निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल। हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंड प्रदान किए गए हैं, लेकिन एक अस्पताल की स्थापना के लिए, जो है अनिवार्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ा होना आवश्यक है, मानदंड याद कर रहे हैं। यदि सरकार स्थापित करेगी तो इसकी सराहना की जाएगी||मानदंडों को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का संस्थान या प्राधिकरण परिभाषित करना एक अस्पताल के ऊपर. हालाँकि, एक औषधालय की स्थापना के लिए भी, कुछ आवश्यक बातें प्रख्यापित की जा सकती हैं। यह प्रयास ख़त्म कर सकता है मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अस्पताल को चुनने और चुनने की प्रक्रियाएक सरकार द्वारा. ऐसी प्रक्रिया अपनाकर हम आश्वस्त हैं,जनता को चिकित्सा उपचार का प्रबंध भी सुव्यवस्थित किया जा सकता है |

(17) हमने याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण की जांच की है हजारों और लाखों के मेडिकल बिल का दावा किया जा रहा है| यह आम तौर पर राज्य के खजाने पर भारी पड़ता है| हमें बताया गया है कि कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है चिकित्सा व्यय के लिए निश्चित राशि और वह राशि दवाओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह पर्याप्त नहीं हो सकता है पिछले लगभग एक दशक में बढ़ोतरी हुई है। यह संभव नहीं हो सकता है सरकार तय मेडिकल भत्ते बढ़ाएगी. |सरकारी कर्मचारी को उक्त भत्ते का सम्पूर्ण भुगतान किया जा रहा है|परिवार जो पर्याप्त नहीं हो सकता है और जो उसे फिर से छोड़ सकता है-अपनी वेतन-भत्ता से कुछ धनराशि निकाल कर। हमारी राय है कि चिकित्सा भत्ते का भुगतान करने के बजाय सरकार देख सकती है110 आई.एल.आर.

पंजाब और हरियाणा 2004(1) मेडिकल बीमा लेने के प्रॉस्पेक्टस और पहलुओं में कर्मचारी और उसके परिवार को पूरा करने के लिए उन भत्तों को डायवर्ट करके उस संबंध में प्रीमियम ताकि एक निश्चित समय पर, चिकित्सा बीमा उसके कुल खर्च का ख्याल रख सकता है जो करना पड़ सकता है अस्पताल में या डॉक्टर से इलाज कराने के लिए खर्च करना होगा उसकी पसंद का. का गठन करके तौर-तरीकों पर काम किया जा सकता है इस संबंध में एक प्राधिकरण और इस प्रक्रिया में राज्य का ह्रास इस मद में राजकोष रोका जा सकता है। ऐसा प्रख्यापित करते हुए एक योजना के लिए सभी संबंधित वर्गों से सुझाव भी लिए जा सकतेहैं|

.

(18) एक कर्मचारी को ऐसी सुविधाएं देते समय एक छोटे परिवार की सराहना को ध्यान में रखा जा सकता है और लाभ एक छोटे परिवार के लिए कर्मचारी को पारित किया जा सकता है ताकि इससे सरकार को जनसंख्या कम करने में भी मदद मिल सकती है.

(19) इस निर्णय की प्रतियां संबंधित प्रमुख को भेजी जाती हैं • पंजाब और हरियाणा के सचिव, प्रशासक के सलाहकार, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और सरकार के सचिव प्रयास करने के लिए भारत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली तदनुसार लाभ और सहायता प्रदान करना.|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी , हरियाणा